

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक ९२५७/३६सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर २२, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बेंड मिलान हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-11258/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 14.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2016 को प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Authority letter is not uploaded in favour of the applicant in Part I though provided with hard copy of the proposal.	Authority Letter is uploaded in Part I A-3. (xvii)
2.	Component wise break up should include area required against each component of proposed road including muck etc in Part-I.	Component wise break up of proposed road including road & muck disposal given in Part I B-2.4
3.	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to village Chantarkani is not provided with the FRA certificate.	VLC meeting document of village Chantarkari is provided with the FRA certificate uploaded in K.(i)(a)
4.	The State Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo-coordinates on few points which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part-I.	Map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale is uploaded in Part-I C(iv)
5.	The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not accepted for the purpose.	GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file uploaded.
6.	The value filled in online Part -I against employment generation likely to be generated in column E(ii) and (iii) is seems incorrect. The correct detail may be filled in this column, if required.	The correct detail of employment generation given in PartI E(ii) and (iii)

Cont. on page 2

7.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2010. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated for the year 2016-17.
8.	Date and signature of FRA certificate and district level committee proceeding is not provided in the copy uploaded in online part I while in the hard copy it is given. The State Govt may upload correct copy of FRA and DLC in Part-I.	FRA certificate and district level committee proceeding is uploaded in online PartI with date and signature
9.	The KML file for CA area is not uploaded in designated column in Part -I and II. The file uploaded is of KML file of area proposed for diversion. The correct file may upload in Part I and II.	The correct KML file for CA area is uploaded in Part I (L)
10.	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is not uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)	In Part I ownership detail, MoU signed between user agency and the present owner and non encumbrances certificate etc for the area proposed for CA is uploaded in Part I column L (iv) (e,f,g,h)
11.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is not uploaded in Part I. The file uploaded in the column is of area proposed for diversion. The State Govt may upload the correct file in the designated place.	Sol toposheet map indicating location of area proposed for CA is uploaded in Part I.
12.	33 trees per hectare does not account for 0.3 density. The State Govt may review the density of the area and do necessary correction.	Density of the area details is not part of user agency. This is related to DFO


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No. 255/1054

Dated. 13/01/2016

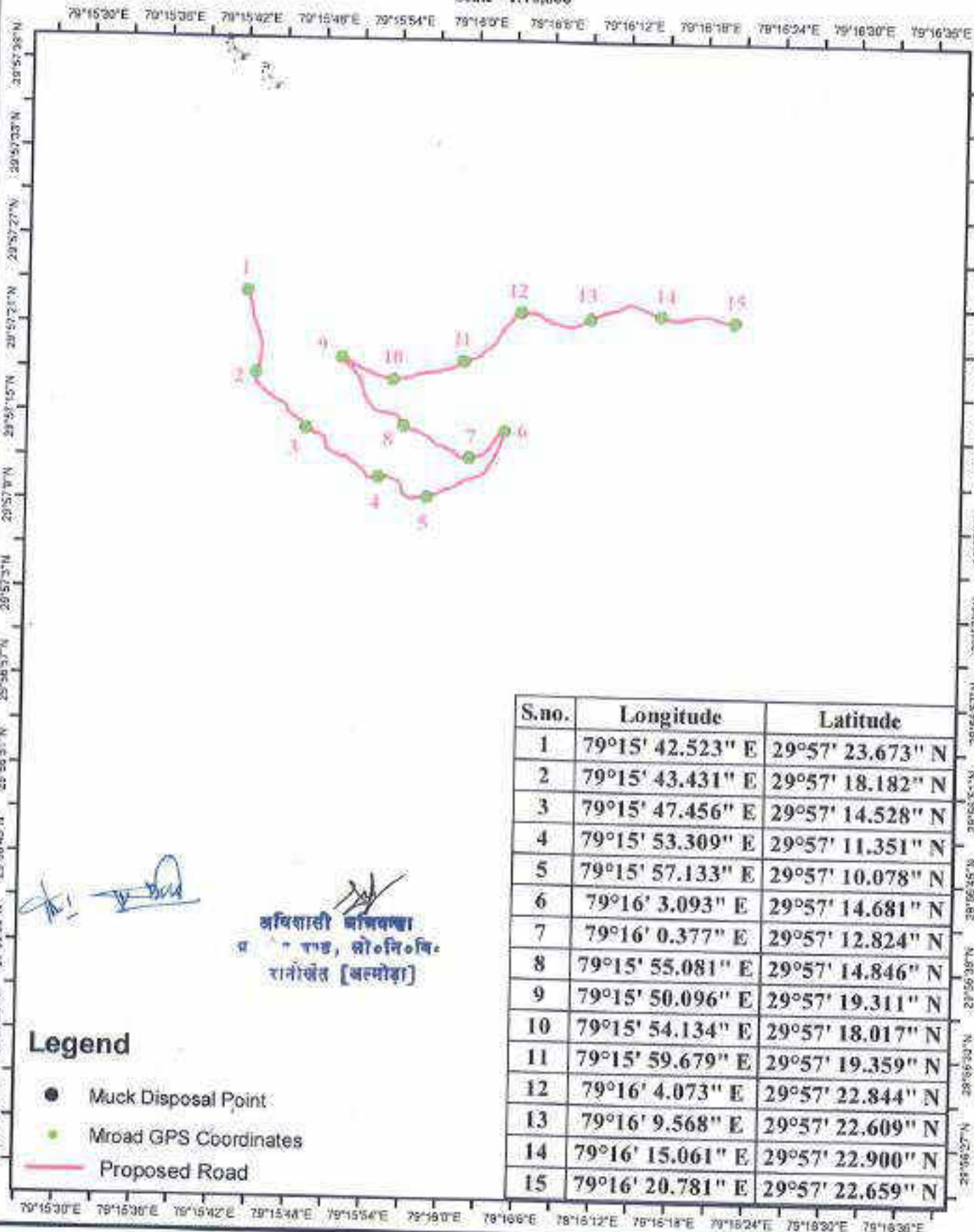
Mr. Kundan Lal Verma, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet(Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.


Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

जीयोरेफेरेंस मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण
के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते
हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.1 0.2 0.4
Km

Scale - 1:10,000



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°15' 42.523" E	29°57' 23.673" N
2	79°15' 43.431" E	29°57' 18.182" N
3	79°15' 47.456" E	29°57' 14.528" N
4	79°15' 53.309" E	29°57' 11.351" N
5	79°15' 57.133" E	29°57' 10.078" N
6	79°16' 3.093" E	29°57' 14.681" N
7	79°16' 0.377" E	29°57' 12.824" N
8	79°15' 55.081" E	29°57' 14.846" N
9	79°15' 50.096" E	29°57' 19.311" N
10	79°15' 54.134" E	29°57' 18.017" N
11	79°15' 59.679" E	29°57' 19.359" N
12	79°16' 4.073" E	29°57' 22.844" N
13	79°16' 9.568" E	29°57' 22.609" N
14	79°16' 15.061" E	29°57' 22.900" N
15	79°16' 20.781" E	29°57' 22.659" N

Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

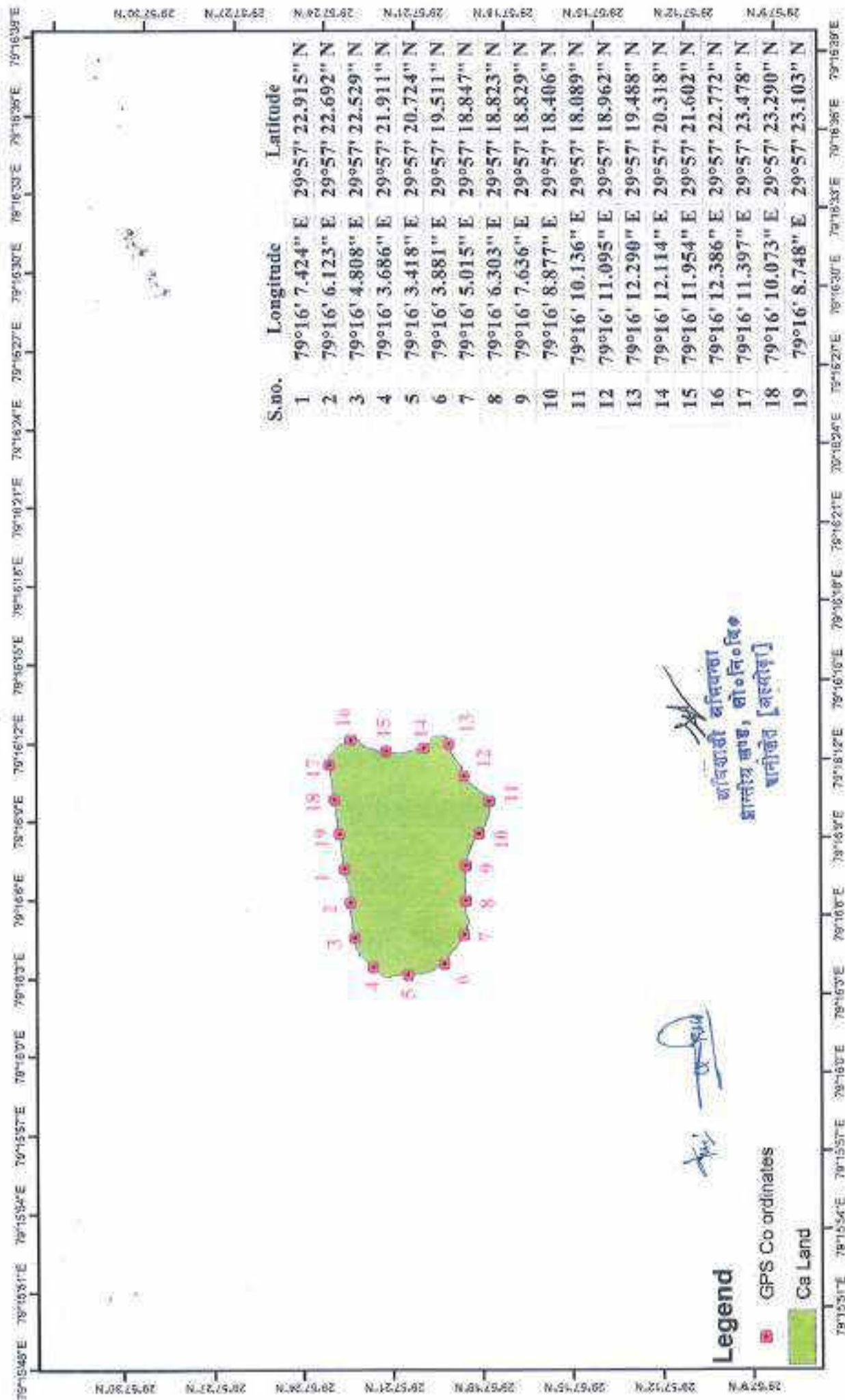
अविशाली अभिलेखा
प. न. रा. ड. सो. नि. वि.
राजीव [अल्मोड़ा]

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासेण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगूड होते हुए डीपा बैण्ड मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु



0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:5,000



प्रपत्र-23.1

दिनांक 18.12.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत काकोडा के खुस

क्रमिक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(2)	प्रेमचंद	प्रेमचंद
(3)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(4)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(5)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(6)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(7)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(8)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(9)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(10)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह
(11)	सुखराम सिंह	सुखराम सिंह



दिनांक 15-3-2015 को गान समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

गान समा

कनिष्ठमण्डल

क्र.सं.	गान समा के सदस्य	गान समा के सदस्य	हस्ताक्षर
1	मोहन	23	मोहन
2	मोहन	24	मोहन
3	लाल	25	मोहन
4	मोहन	26	मोहन
5	मोहन	27	मोहन
6	मोहन	28	मोहन
7	मोहन	29	मोहन
8	मोहन	30	मोहन
9	मोहन	31	मोहन
10	मोहन	32	मोहन
11	मोहन	33	मोहन
12	मोहन	34	मोहन
13	मोहन	35	मोहन
14	मोहन	36	मोहन
15	मोहन	37	मोहन
16	मोहन	38	मोहन
17	मोहन	39	मोहन
18	मोहन	40	मोहन
19	मोहन	41	मोहन
20	मोहन	42	मोहन
21	मोहन	43	मोहन
22	मोहन	44	मोहन
		45	मोहन

ग्राम प्रधान

सरचय



प्रधान
क्षेत्र प्रशासन सदस्य
चयन समिति
दि. 15.3.2015 (बुधवार)

दिनांक 1973-01-25 का ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की प्रविष्टि

ग्राम सभा

च.प्र.स.स.स.

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम
1	पद्मा देवी	च.प्र.स.स.स.
2	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
3	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
4	क.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
5	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
6	श्रीमती चम्पा देवी	च.प्र.स.स.स.
7	श्रीमती ब्रह्मा देवी	च.प्र.स.स.स.
8	लाली देवी	च.प्र.स.स.स.
9	न.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
10	सुरेश सिंह	च.प्र.स.स.स.
11	पान सिंह	च.प्र.स.स.स.
12	न.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
13	अ.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
14	म.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
15	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
16	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
17	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
18	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
19	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
20	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
21	च.प्र.स.स.स.	च.प्र.स.स.स.
22		

ग्राम प्रधान

सरचर्चा

Rawt
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत च.प्र.स.स.स.
पी० बरगन वि० ख० स्थान

ग्राम प्रधान

क्षेत्र पंचायत सदस्य
च.प्र.स.स.स.
वि० ख० स्थान (ब.प्र.स.स.)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

परियोजना - काकोडा/कालिका

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चि. वि. वि. वि.
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चि. वि. वि. वि.

उपखण्ड हजारे परिक्षेत्र के अन्तर्गत हजारे
(1 हे० आश्रित वन भूमि, 1.42 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि (1 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.42 हे० वन भूमि) का
चि. वि. वि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हजारे) की दिनांक 18-3-2013 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री चि. वि. वि. वि. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री चि. वि. वि. वि. उप जिलाधिकारी चि. वि. वि. वि. अध्यक्ष
- 2- श्री चि. वि. वि. वि. उप प्रभागीय वनाधिकारी चि. वि. वि. वि. सदस्य
- 3- श्री चि. वि. वि. वि. सहायक समाज कल्याण अधिकारी चि. वि. वि. वि. सदस्य/सचिव
- 4- श्री चि. वि. वि. वि. सीडीडीसी क्षेत्र चि. वि. वि. वि. सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

चि. वि. वि. वि. - काकोडा/कालिका

परियोजना हेतु 1.42 हे० वन
भूमि

चि. वि. वि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चि. वि. वि. वि. द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2006
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
सपखण्ड १ तारीय चम अविभाज्य समिति
तहसील- चम (पश्चिमी)
जनपद- अलीगढ़

सप्त जिलाधिकारी / अवरुध
सप्तखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - तहसील
जनपद - जनपद

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- देवघर नगरपालिका (बाल) से चलयस्वस्ती - कमिथी नुहा

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

10.06.15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{1,14,332} het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का
अभिज्ञान

(Full name of the official seal of the District Collector)

Signature

10/06/15

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का
अभिज्ञान

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11.9/98-EC(pf) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 1.425 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Highway metan Road

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chamla village(s) in Syala Tehsil.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.425 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- The proposal does not involve recognized of primitive Tribe Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

10.06.15
Signature

विभागाध्यक्ष
अन्योद

खतौनी ग्राम कमलियालिमूणा
पटवारी क्षेत्र खळबुवा तहसील स्याल्दे जिला अल्मोडा

खता संख्या	नाम खातेदार का	खेत संख्या	रकबा	लगान	विवरण
38/53	1 बनार कमलिया अल्मोडा	1791	2.578	-	खतौनी ग्राम कमलिया अल्मोडा पटवारी क्षेत्र
	2 श्री 9(3) डी हनुमन्त जी वनार कमलिया	1792	1.097	-	खतौनी ग्राम पटवारी क्षेत्र
	3 श्री 9	9 रेकल	3.695	-	

बनार कमलिया
पटवारी क्षेत्र
पटवारी क्षेत्र

खतौनी ग्राम
पटवारी क्षेत्र

खिला अधिकारी
बनार कमलिया

विधानसभा सड़क के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से
बन्धरखाड़ी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
(2.500किमी.) (1.485है०)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सट्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्दरखाड़ी-कलियालिगुड़-झीपा रोड हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में १.४८५ हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है जो २.९७ कठ्ठा ३५ पट्टे ६० आंश के सम्यक् तहसील खाड़ी में स्थित है।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण स्वच्छ, लोअनिटिव
रानीखेत (अल्मोडा)

अधिकांश अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड/ लो०नि०वि०
शनीखेत (अल्मोडा)

ह० /—
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोडा

वन की लक्षिकाओं
जो लक्षिका रेंज
अनुसूचित वन प्रभाग

प्रमाणित करी
प्रमाणित करी

बृक्षा रोपण हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम - देघाट नागबुलाखाल मोटर मार्ग से द्वीपा बैण्ड चन्धरखाणी
कलियालिगुण मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि मौजा कलियालिगुण पटवारी क्षेत्र खल्लुवा तहसील
स्याल्दे के खाता संख्या 32/53 रकबा 3.695

भूमि बृक्षा रोपण हेतु उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं

है, उक्त भूमि में कोई भी अन्य अधिकार नहीं है।

पटवारी क्षेत्र खल्लुवा
तहसील स्याल्दे

तहसीलदार स्याल्दे

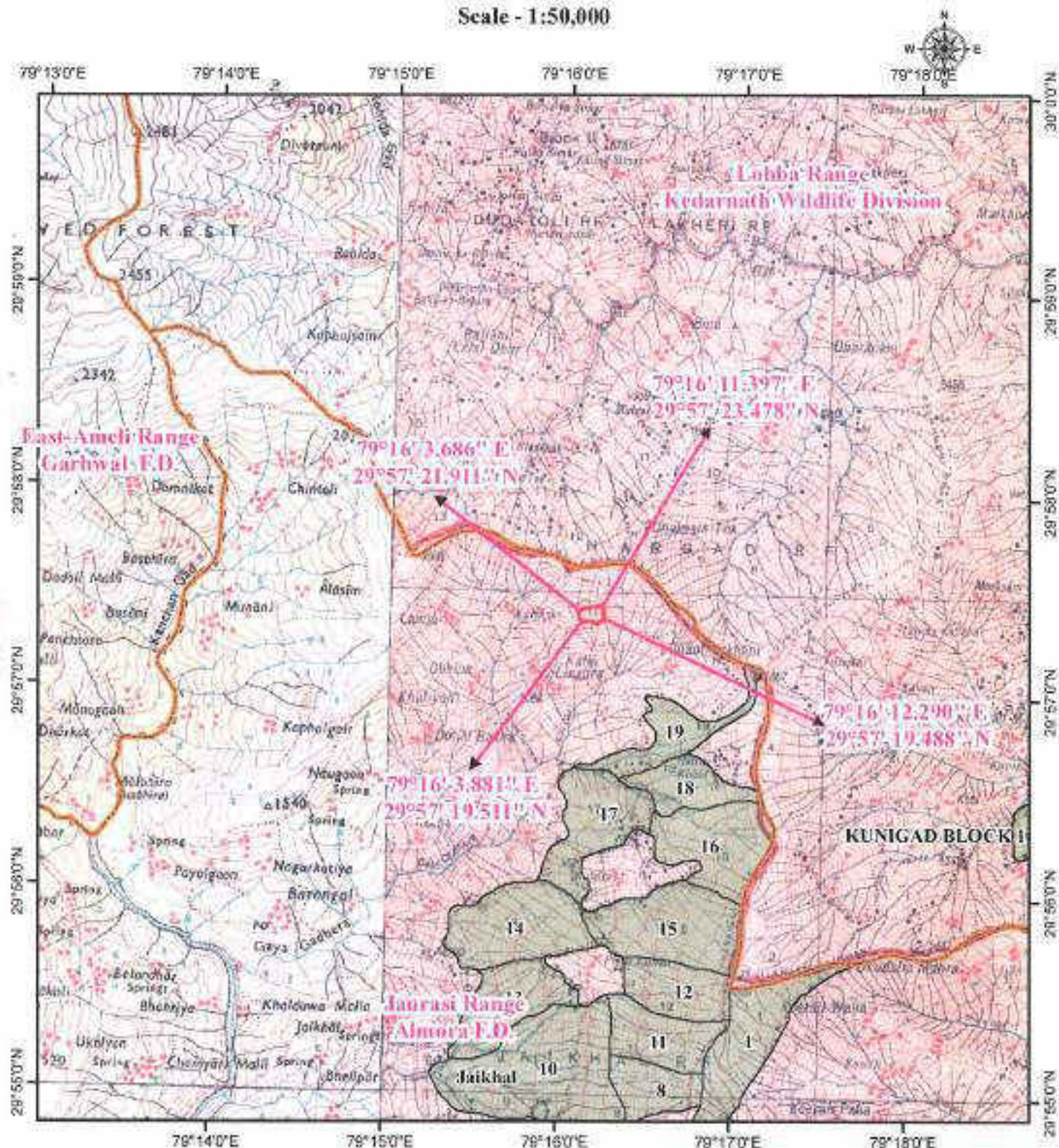
उपप्रमुख अधिकारी
विभाग
मिर्जापुर

जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
अजमेर

डिजिटल मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

[Handwritten signatures and initials in blue ink]